न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू , जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

वाद पत्र संख्या–85 / 2019

वाद पत्र प्रस्तुति दिनांक :–29.07.2019

निर्णय दिनांकः–05.08.2019

उनवान

1.राजा देवी पत्नि कानाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम राणोंली तह0 पीपलू जिला टोंक

2.शिवराज पुत्र कानाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम राणोंली तह0 पीपलू जिला टोंक

3.गिरार्ज पुत्र कानाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम राणोंली तह0 पीपलू जिला टोंक

वादीगण

बनाम

1.मोती पुत्र छोगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम राणोंली तहसील पीपलू जिला टोंक
2.तहसीलदार, पीपलू जिला टोंक

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उदघोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 राज.टि.एक्ट 1955

अधिवक्ता वादी–श्री विवेक चौधरी

अधिवक्ता प्रतिवादीगण–श्री कमलेश गुर्जर

निर्णय दिनांक–05.08.2019

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार हैं कि वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि आराजी खसरा न0 2375/2 रकबा 4 बीघा वाकै ग्राम राणोंली तहसील पीपलू जिला टोंक राज. में स्थित हैं जो वर्षो पूर्व छोगा गुर्जर द्वारा नौतोड़ कर काबिल काश्त बनाई थी। छोगा गुर्जर के कानाराम व मोती दो पुत्र थे जो उनके साथ ही उनके जीवनकाल तक एक साथ रहे

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

और आराजी को संयुक्त रूप से काश्त करते रहे छोगा गुर्जर का देहान्त सन् 1992 में हुआ हैं और कानाराम का देहान्त भी सन् 2011 में हो गया हैं वादीगण उनके वारिसान हैं उक्त वर्णित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी में दर्ज हैं जिसमे वादीगण का भी आधा हिस्सा हैं और कब्जा काश्त हैं जिसके लिए वादीगण ने उद्घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज का वाद प्रस्तुत किया हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता श्री कमलेश गुर्जर ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब दावा पेश किया। वादी ने अपने वाद पत्र के सम्बध में नकल जमाबन्दी की प्रति पेश की। उभयपक्ष अधिवक्ता ने राजीनामा पेश किया इकबाली जवाब दावे एवं राजीनामें के आधार पर उभयपक्ष अधिवक्ता ने वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस अभिभाषक वादी व प्रतिवादीगण की सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् व कानुनी नजीरों का अवलोकन किया। वाद वादी स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि आराजी खसरा न0 2375/2 रकबा 04 बीघा वाके ग्राम राणोंली में तह0 पीपलू में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार पीपलू निर्णय अनुसार वादीगण के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(शिप्रा शर्मा)
उप खण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू